वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की उपयोजना "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (60:40) के तहत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु कार्यान्वयन अनुदेश।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/114/2024– पी0पी0एम0– 109 दिनांक– 27.08.2024 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी.पी.आर.) अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की उपयोजना "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (60:40) के तहत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रमों के वित्तीय वर्ष 2024–25 में कार्यान्वयन हेतु कुल 1799.41 लाख (सत्रह करोड़ निन्यानवे लाख एकतालीस हजार) रूपये मात्र जिसमें केन्द्रांश 1079.646 लाख (दस करोड़ उनासी लाख चौंसठ हजार छः सौ) रूपये एवं समानुपातिक राज्यांश 719.764 लाख (सात करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची – 1 एवं 2 के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में कराई जायेगी।

1. योजना का उद्देश्य :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बागवानी फसलों के उत्पादनोपरांत वैल्यू चेन डेवलपमेंट, मूल्यवर्धन हेतु समेकित फसलोत्तर प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है।

इस योजना के क्रियान्वयन से उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर क्षति में कमी आएगी। भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध होने से किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा एवं बाजार में उद्यानिक उत्पादों की उपलब्धता ज्यादा समय तक हो पायेगी। इस योजना के कार्यान्वयन से कृषि क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो सकेगा।

2. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश :–

i. **इंट्रीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट :–** इस उप अवयव अन्तर्गत पैक हाउस, कोल्ड रूम (स्टेजिंग), कोल्ड स्टोरेज टाईप 1 एवं टाईप 2, टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चैन, रेफ्रिजेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, राईपिंग चैम्बर स्वीकृत है। मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार की अध्यक्षता में SLEC द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में कार्य कराया जायेगा।

ii. **पैक हाउस** (इकाई लागत 4.00 लाख (चार लाख) रूपये 9x6 मीटर का) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 50 प्रतिशत 2.00 लाख (दो लाख) रूपये सहायतानुदान देय है। आवेदन से संबंधित सभी प्रकार के कागजात एवं चेकलिस्ट अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

iii. **कोल्ड रूम (स्टेजिंग)** (इकाई लागत रू० 15.00 लाख क्षमता 30 मेट्रिक टन) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 5.25 लाख (पाँच लाख पचीस हजार) रूपये सहायतानुदान देय है। आवेदन से संबंधित सभी प्रकार के कागजात एवं चेकलिस्ट अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

iv. **कोल्ड स्टोरेज टाईप 1** (इकाई लागत 8,000.00 (आठ हजार) रूपये प्रति मेट्रिक टन, अधिकतम 5,000 मेट्रिक टन) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 2,800.00 (दो हजार आठ सौ) रूपये प्रति मेट्रिक टन सहायतानुदान देय है। आवेदन से संबंधित सभी प्रकार के कागजात एवं चेकलिस्ट अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

v. **कोल्ड स्टोरेज टाईप 2** (इकाई लागत रू० 10,000.00 (दस हजार) रूपये प्रति मेट्रिक टन, अधिकतम 5,000 मेट्रिक टन) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 3,500.00 (तीन हजार पाँच सौ) रूपये प्रति मेट्रिक टन सहायतानुदान देय है। आवेदन से संबंधित सभी प्रकार के कागजात एवं चेकलिस्ट अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

vi. **टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चैन** (अधिकतम 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) रूपये) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 87.50 लाख (सतासी लाख पचास हजार) रूपये सहायतानुदान देय है। आवेदन से संबंधित सभी प्रकार के कागजात एवं चेकलिस्ट अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

vii. **रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स** (इकाई लागत 26.00 लाख (छब्बीस लाख) रूपये क्षमता 9 मेट्रिक टन) का क्रय किया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 9.10 लाख (नौ लाख दस हजार) रूपये सहायतानुदान देय है। सहायतानुदान पंजीकरण संख्या प्राप्त होने पर ही दिया जायेगा। आवेदन से संबंधित सभी प्रकार के कागजात एवं चेकलिस्ट अनुसूची–4 के रूप में संलग्न है।

viii. **राईपेंनिग चैम्बर** (इकाई लागत 1.00 लाख (एक लाख) रूपये प्रति मेट्रिक टन अधिकतम 300 मेट्रिक टन प्रति लाभार्थी) का निर्माण कराया जाना है, जिसपर 35 प्रतिशत अर्थात 35,000.00 (पैंतीस हजार) रूपये प्रति मेट्रिक टन सहायतानुदान देय है। आवेदन से संबंधित सभी प्रकार के कागजात एवं चेकलिस्ट अनुसूची–5 के रूप में संलग्न है।

ix. उपरोक्त सभी अवयवों यथा कोल्ड रूम (स्टेजिंग), कोल्ड स्टोरेज टाईप 1 एवं टाईप 2, टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चैन, राईपेंनिग चैम्बर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत का 35 प्रतिशत अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान दो किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त सिविल कार्य पूर्ण एवं मशीनरी के संस्थापन के बाद तथा द्वितीय किस्त परियोजना के व्यवसायिक रूप से प्रारम्भ होने के बाद पूर्व से गठित संयुक्त जाँच दल (संबंधित बैंक ऋण प्रदाता के प्रतिनिधि, तकनीकी सहायता दल के सदस्य, सहायक निदेशक उद्यान एवं जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि) के अनुशंसा के आलोक में देय होगा। इस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न अवयवों का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन के साथ ले–आउट प्लान, परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.) एवं बैंक द्वारा ऋण देने की सहमति पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस घटक का कार्यान्वयन राज्य स्तर से निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक के द्वारा State Level Executive Committee (SLEC) के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कराया जायेगा। इस घटक में वैसे भी अवयव यथा कोल्ड स्टोरेज आदि शामिल है, जिसका कार्यान्वयन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण किया जायेगा।

x. पैक हाउस निर्माण के उपरांत त्रिसदस्यीय संयुक्त जाँच दल (संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी, सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं सहायक निदेशक उद्यान) के अनुशंसा के आलोक में एकमुश्त अनुदान की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

3. आवेदन की प्रक्रिया:–

i. इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग, बिहार के डी. बी. टी. पोर्टल (http://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों/उद्यमियों को उद्यान निदेशालय के वेबसाईट (horticulture.bihar.gov.in) पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

ii. किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में योजना का प्रचार–प्रसार करते हुए निर्धारित/औपबंधिक भौतिक लक्ष्य अनुरूप ऑनलाईन आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. लाभुक चयन की पात्रता एवं प्रक्रिया :–

i. लाभुक का चयन 'लॉटरी' के आधार पर किया जायेगा।

ii. इच्छुक कृषक/ उद्यमी/ कम्पनी/ फर्म विभागीय बेवसाईट horticulture.bihar.gov.in के पोस्ट हार्वेट मैनेजमेंट टैब पर जाकर निबंधन करना होगा, जिसके उपरांत आवेदक को लॉगिन आई. डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। तत्पश्चात आवेदक को अपने लॉगिन से इस कार्यक्रम अन्तर्गत अवयवों का लाभ लेने हेतु वांछित सूचनाओं को भरते हुए आवेदन के साथ संबंधित कागजात को स्व अभिप्रमाणित करने के उपरांत अपलोड करना अनिवार्य होगा।

iii. प्राप्त आवेदन को मुख्यालय स्तर पर सभी संलग्न कागजातों के जाँचोपरान्त स्वीकृति हेतु State Level Executive Committee (SLEC) के समक्ष रखा जायेगा। (अनुसूची–6 संलग्न)

iv. योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर से मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार के द्वारा SLEC के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कराया जायेगा।

v. चयनित आवेदक द्वारा अवयववार कार्यादेश में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में आवेदक के अनुरोध पर मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार द्वारा निर्माण कार्य के अवधि विस्तार पर विचार किया जा सकेगा।

5. अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया:–

i. अनुदान की प्रथम किस्त की राशि सिविल कार्य पूर्ण एवं मशीनरी के संस्थापन के बाद तथा द्वितीय किस्त की राशि परियोजना के व्यवसायिक रूप से प्रारम्भ होने के बाद पूर्व से गठित संयुक्त जाँच दल (JIT) के अनुशंसा के आलोक में देय होगा।

ii. अनुदान विमुक्ति से पूर्व लाभूक द्वारा सभी आवश्यक कागजात यथा–प्लांट/मशीनरीज का अभिश्रव, कोल्ड स्टोरेज में सिविल निर्माण की स्थिति में चार्टर्ड अभियंता द्वारा निर्गत कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इत्यादि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

iii. संयुक्त जाँच दल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मिशन निदेशक द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि PFMS प्रणाली के तहत लाभुक को क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा।

7. कार्य दायित्व:–

i. सहायक निदेशक उद्यान – जिला स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना एवं ससमय स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन (जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स सहित) मुख्यालय को अग्रसारित करना।

ii. नोडल पदाधिकारी – योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना एवं ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त स्वीकृति हेतु State Level Executive Committee (SLEC) के समक्ष रखना।

iii. निदेशक, उद्यान – मुख्यालय स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

निदेशक उद्यान, बिहार।

ज्ञापांक : 3950 दिनांक : 21/10/2024

प्रतिलिपि :– सभी सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्यान, बिहार।